:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– के.आर.खोड

मूकदमा नम्बर 7/19 अपील

श्री राजेश कटारा पिता विजयपाल कटारा जाति भील उम्र वयस्क निवासी गुन्दीघाटा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

अपीलांट

बनाम

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल जिला डूँगरपुर
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
3. श्री हरिशचन्द्र पिता विजयपाल कटारा जाति भील उम्र वयस्क निवासी गुन्दीघाटा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

रेस्पोडेट

अपील बनाराजगी नामान्तरण सख्या 864, 217, 228,230, ओदश प्रमाणीत ग्राम पंचायत करावाडा मौजा करावाडा एवं गुन्दीघाटा तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता अपीलान्ट

2 श्री गिरधरलाल रोत अधिवक्ता रेस्पोडेंट

:: निर्णय :: दिनांक 16/03/2020

1. **प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील बनाराजगी नामान्तरण धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की प्रस्तुत की कि:–**

मौजा करावाडा जमाबन्दी संवत् 2074–2077

खाता सख्या	खसरा सख्या	रकबा
26	113	0.0485 हैक.

मौजा गुन्दीघाटा जमाबन्दी संवत् 2074–2077

खाता सख्या	खसरा सख्या	रकबा
165	2152	0.1213 हैक.

मौजा गुन्दीघाटा जमाबन्दी संवत् 2074–2077

खाता सख्या	खसरा सख्या	रकबा
81	2175	0.0080 हैक.
	2236	1.0597 हैक
	2237	0.0809 हैक
	2238	0.3721 हैक

Scanned with CamScanner

	2239	0.3397 हैक
	2312	1.5290 हैक
	2333	0.0647 हैक
	2338	0.1132 हैक
	2339	0.3316 हैक
	2505	0.1213 हैक

मौजा गुन्दीघाटा जमाबन्दी संवत् 2074–2077

खाता सख्या	खसरा सख्या	रकबा
146	2196	0.2427 हैक
	2449	0.0889 हैक

मौजा गुन्दीघाटा जमाबन्दी संवत् 2074–2077

खाता सख्या	खसरा सख्या	रकबा
195	2136	0.0566 हैक
	2141	0.1779 हैक
	2147	0.1456 हैक
	2156	0.1618 हैक
	2177	0.1860 हैक
	2456	0.0566 हैक
	2471	0.1132 हैक
	2561	0.0647 हैक
	2562	0.0889 हैक
	2631	0.4611 हैक

मौजा गुन्दीघाटा जमाबन्दी संवत् 2074–2077

खाता सख्या	खसरा सख्या	रकबा
79	2878 / 2596	0.4854 हैक
	2879 / 2599	0.5258 हैक

2. यह कि राजस्व गॉव गुन्दीघाटा नया बनाया गया है जो पहले गॉव करावाडा का ही भाग था, बिन्दू सख्या 1 में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है, अपीलान्ट के पिता को विजयपाल है **अपीलान्ट के पिता विजयपाल की मृत्यु होने पर पटवारी द्वारा वीरासती नामानतरण खोला गया, जिसमें आस–पास पुछ परछ कर अपीलान्ट का नाम राजकुमार एवं उसके भाई का नाम हरिशचन्द्र के नाम नामन्तरण खोला गया जो ग्राम पंचायत करावाडा द्वारा प्रमाणित कर दिया गया, जबकि न तो राजस्व कर्मी द्वारा अपीलान्ट के पहचान बाबत कोई दस्तावेज लिया, गया, अपीलान्ट को घर राजकुमार नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में राजकुमार दर्ज कर लिया है जबकि अपीलान्ट के समस्त दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम राजेश दर्ज है अर्थात अपीलान्ट का दस्तावेजी नाम राजेश है जो उसके राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड आदि में**

Scanned with CamScanner

दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम राजकुमार गलत दर्ज कर लिया है। ग्प्रम पंचायत द्वारा नाम के सबध में किसी प्रकार से कोई दस्तावेज जॉचे परखे बीना नामान्तरण प्रमाणित किया गया है ऐसे मे उक्त सभी नाम. खारीज कर, पुनः अपीलान्ट का सही नाम दर्ज कर नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया रेस्पोडेन्ट की ओर से एडवोकेट गिरधरलाल रोत ने वकालतनामा पेश किया,तथा अपीलान्ट का सही नाम राजेश दर्ज करने की सहमति दी। ऐसे में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है नामान्तरण सख्या 864, 217, 228,230, ओदश प्रमाणीत ग्राम पंचायत करावाडा को आपस्त किए जाते है।

अतः तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूॅंगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि गॉव करावाडा एवं गुन्टीघाटा की आराजी जो बिन्दू सख्या 1 में वर्णित के सबध में नया नामान्तरण दर्ज करते हुएं राजकुमार के स्थान पर राजेश दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है शेष बदस्तुर रहे। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 16/03/2020. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.19 14:39:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: